# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

जगरनाथ महतो ........ बनाम ........ बलराम महतो वगैरह

| ०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 11-17 | अभिलेख सं0–एम0...160.../2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी सोनाहातु / राहे ओ0पी0 के अप्राथमिकी सं0–42/17 दिनांक–29-10-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि मौजा इचाहातु अन्तर्गत खाता नं0 29 प्लॉट नं0 278 रकबा 7 डी0 जमीन को लेकर उभय पक्ष के विवाद है।<br><br>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।<br>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।<br>अभिलेख तिथि ...15-12-17... को उपस्थापित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>(हस्ताक्षर) कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।<br>(हस्ताक्षर) 30/11/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। | |
| 12-17 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 05-01-18 को रखें। | |

| तिथि | आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 13-07-18 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष क्रमांक 02,03 उपस्थित अन्य अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से बयान दाखिल किया गया। उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। [illegible] 13/7/18 |

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 13:48:37 +05:30
Location: 192.168.43.107